अध्यापक संवर्ग को नहीं मिली तीसरे वेतनमान की अंतिम किश्त

भोपाल। राजधानी में अध्यापक संवर्ग को तीसरे वेतनमान की अंतिम किश्त का भुगतान नहीं किया है। शिक्षक संगठनों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तीसरी किश्त की मांग की है। मप्र शासकीय अध्यापक संगठन संयोजक उपेंद्र कौशल ने बताया कि शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग को 1 जनवरी 2016 से छठवां वेतनमान स्वीकृत किया गया था। वेतन निर्धारण उपरांत छठवें वेतनमान की बढ़ी हुई राशि के एरियर का भुगतान तीन किश्तों दिए जाना था।

एक दिन में आया 2.71 करोड़ टैक्स

जागरण प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम ने शनिवार को 175 स्थानों पर राजस्व मेगा वसूली शिविर लगाए। इनमें 3705 उपभोक्ताओं ने करीब 2.71 करोड़ रुपए टैक्स जमा कराया। इस दौरान संपत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार, दुकान किराया व लीज रेंट के अधिभार पर दी जा रही छूट का फायदा दिया गया।

संबल योजना के सरकार पर 41 करोड़ बकाया, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार फीस में छूट देने की योजना स्थगित की

दसवीं-बारहवीं में एससी-एसटी व मजदूर वर्ग के साढ़े तीन लाख विद्यार्थियों को भरना होगी फीस

नीरज गौर, भोपाल

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं परीक्षा में एससी-एसटी व मजदूर वर्ग (संबल योजना) के छात्रों को फीस जमा करना होगी। इस बार परीक्षा में मंडल ने फीस में छूट देने की योजना को स्थगित कर दिया है। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं परीक्षा में विद्यार्थियों की करीब 900 रुपए फीस लगती है। करीब दस सालों से एससी-एसटी के छात्रों के फीस में पूरी छूट मिलती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पिछले कुछ सालों से संबल योजना के विद्यार्थियों फीस में पूरी छूट दी जा रही थी। तीनों वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग साढ़े तीन लाख है। फीस की छूट की राशि को बाद में सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल को लौटा दी जाती थी। पिछले दो सालों से मंडल को फीस की राशि नहीं लौटाई जा रही है। इससे सरकार पर ही माशिमं के ही फीस के 41 करोड़ की राशि बकाया हो चुकी है। जिसके बाद मंडल ने इस बार एससी-एसटी व संबल योजना के छात्रों से पूरी फीस लेने के निर्णय लिया है। मंडल की परीक्षा में शामिल होने के बाद इन छात्रों को पूरी फीस जमा करना होगी। जब इन छात्रों की फीस वापिस मिल जाएगी, तो मंडल द्वारा विद्यार्थियों को राशि वापिस कर दी जाएगी।

25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ भरना है फीस

शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षा के लिए मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। अब स्कूल में प्रवेशित नियमित प्रत्येक छात्र की नामांकन की जानकारी मंडल की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक आनलाइन दर्ज कराना थी। मंडल की परीक्षा के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकेगा, जिसका विद्यालय द्वारा आनलाइन नामांकन कराया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मंडल ने नियमित व स्वाध्यायी छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन भरने की तिथि भी घोषित कर चुका है। परीक्षा के लिए वहीं छात्र आवेदन कर सकेंगे, जिनका 31 अक्टूबर तक नामांकन हुआ है। दसवीं-बारहवीं परीक्षा के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से आनलाइन भरना शुरू हो गए है। 25 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरे जाएंगे। 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक विलंब शुल्क दो हजार रुपए रहेगा। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क पांच हजार रुपए रहेगा। एक जनवरी से 31 जनवरी तक विलंब शुल्क दस हजार रुपए रहेगा।

दो साल पहले ही मंडल ने बढ़ाई है 61 फीसदी फीस

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दो साल पहले ही दसवीं-बारहवीं के लिए परीक्षा फीस 550 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया है। यह फीस शैक्षणिक सत्र 2018-19 से विद्यार्थियों के लिए 61 फीसदी तक बढ़ाई है। फीस वृद्धि से मंडल को हर साल 42 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। हालांकि दूसरे राज्यों के बोर्ड की तुलना में मध्यप्रदेश में परीक्षा शुल्क काफी कम है। दूसरे बोर्ड में लगभग 2 से 3 हजार रुपये परीक्षा शुल्क लगता है।

एससी-एसटी व संबल के छात्रों की फीस में छूट स्थगित करने की जानकारी नहीं है। मामले में अधिकारियों से बात की जाएगी।

इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग

दसवीं-बारहवीं में विद्यार्थियों की एससी-एसटी व संबल योजना के छात्रों की फीस की राशि में छूट है। बस इस बार छात्रों से फीस जमा करवाई जा रही है। बाद में राशि मिलने के बाद छात्रों की फीस खातों में लौटा दी जाएगी।

उमेश कुमार सिंह, सचिव मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल

ठग गिरोह का भंडाफोड़ : दिल्ली में फर्जी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर संचालित कॉल सेंटर में छापा

बंद पड़ी पॉलिसियों के नाम पर करोड़ों ठगे एक दर्जन युवक-युवतियां हिरासत में

इंदौर। इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने और लैप्स हो चुकी पॉलिसी को दोबारा एक्टिव करने के नाम पर देश भर में ठगी कर रहे गिरोह के दिल्ली स्थित ऑफिस पर इंदौर सायबर सेल पुलिस ने दबिश दी है। करीब एक दर्जन से ज्यादा युवक-युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीनियर सिटीजन के डेटा चुराने के बाद उनकी पॉलिसियों को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी बनकर ये बदमाश उनसे ठगी करते थे। इस गैंग ने इंदौर, रायसेन और उज्जैन में कई लोगों को ठगा है। साइबर सेल एसपी जीतेंद्र सिंह ने बताया कि इंदौर साइबर सेल को प्रमोद वाकणकर ने शिकायत की थी कि उनकी लैप्स हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी को दोबारा एक्टिव कर उन्हें पॉलिसी का पैसा दिलवाने के नाम पर इस गिरोह ने 23 लाख 63 हजार रुपए ठग लिए थे। टीआई अंबरीश मिश्रा की टीम ने पड़ताल की, तो पता चला गिरोह का संचालन दिल्ली में ओखला से हो रहा है। इसे आरोपी अभिषेक दीवान व हरीश दीवान संचालित कर रहे थे। दोनों को सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इनसे जुड़े प्रदीप (33) पिता राजेंद्र प्रसाद निवासी अली विहार नई दिल्ली, सुमित (25) पिता गुलशन मलिक निवासी आईटी एक्सटेंशन दिल्ली और आत्मदेव (28) पिता रामकिशन सिंह निवासी दिल्ली इस रैकेट को संचालित कर रहे हैं। टीम ओखला पहुंची और तीन दिन रैकी करने के बाद अड्डे पर दबिश दी। पुलिस ने तीनों को पकड़ा और इनके द्वारा संचालित इंश्योरेंस कंपनी का फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा। यहां टीम ने एक साथ कार्रवाई की, तो एक दर्जन युवक-युवती लोगों को उनकी पॉलिसी के नाम पर ठगी करते मिले। प्रदीप प्रसाद पर 5 हजार का इनाम भी घोषित था।

थाने के पास ही चल रहा था कॉल सेंटर

साइबर सेल की टीम ने जिस कॉल सेंटर पर दबिश दी, वह दिल्ली में ओखला थाने की बिल्डिंग के पास ही चल रहा था। कई पुलिस वालों को जानकारी थी फिर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। साइबर सेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह जानकारी दे दी है। एसपी ने बताया कि आरोपी प्रदीप प्रसाद इंदौर में हुई ठगी में आरोपी था। इसके खाते की जानकारी निकाली, तो 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन मिला। दिल्ली में इसकी रैकी की, तो पता चला इसी ने लाइव कॉलिंग इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कॉल सेंटर शुरू किया था। इंश्योरेंस कंपनियों से नौकरी छोड़ने वाले ट्रेंड लोगों को ही ये सेंटर में अच्छे पैकेज पर रखते थे।

भाजपा नेताओं के परिवारजनों ने भी दूसरे धर्म में शादी की है, क्या यह 'लव जिहाद' है

रायपुर, जेएनएन। देश में 'लव जिहाद' का मुद्दा अभी काफी सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस पर कानून बनाने के पक्ष में दिख रही है, वहीं कांग्रेस इसका विरोध करती नजर आ रही है। अब इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कई भाजपा नेताओं के परिवार के सदस्यों ने भी दूसरे धर्म में शादी की है। मैं भाजपा नेताओं से पूछता हूं कि क्या ये विवाह 'लव जिहाद' की परिभाषा में आते हैं। उन्होने कहा कि क्या यह कानून सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य भाजपा नेताओं के परिवार पर भी लागू होगा ?

दो दिन में 7 डिग्री गिरा रात का पारा दिन का पारा 6.3 डिग्री नीचे आया

उत्तरी हवाओं के असर और पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने से बढ़ी ठंड

नगर संवाददाता, भोपाल

हवा का रुख बदलने और पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही एक बार फिर राजधानी सहित प्रदेशभर में ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी में दो दिन में ही रात का पारा 7 और दिन का तापमान 6.3 डिग्री नीचे आ गया है। इससे दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। दो दिन पहले तक दिन और रात का पारा सामान्य से ऊपर था। इससे मौसम गर्म हो गया था। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अब तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। तापमान धीरे-धीरे नीचे जाएगा। शनिवार को दिन का पारा 25.0 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री नीचे रहा। वहीं रात का तापमान 12.0 डिग्री पर आ गया है। यह सामान्य से 3 डिग्री नीचे चला गया है। शुक्रवार को रात का पारा 16.8 डिग्री दर्ज हुआ था। उत्तरी हवाओं की वजह से प्रदेश के सभी जिलों में रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। शनिवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान दतिया का 9.6 डिग्री दर्ज हुआ। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एके शुक्ला के मुताबिक नवंबर के महीने में पश्चिमी विक्षोभ आते-जाते रहते हैं। इस वजह से तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहता है। दो-तीन दिन बाद एक बार फिर तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है। दिसंबर के पहले सप्ताह से ठंड बढ़ जाएगी।

इस तरह बदला तापमान

दिनांक	अधिकतम	न्यूनतम
16 नवंबर	32.4	17.7
17 नवंबर	31.5	18.6
18 नवंबर	32.9	18.6
19 नवंबर	31.3	19.4
20 नवंबर	25.8	16.8
21 नवंबर	20.0	12.0

एफआईआर हुए सात साल हो गए, अब तक पेश नहीं हो पाया चालान

पीएचक्यू में धड़ल्ले से नौकरी कर रहे 28 गुनाहगार

दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले दिखा रहे नियम-कायदे को अंगूठा

नगर प्रतिनिधि, भोपाल

मध्यप्रदेश में अगर कोई अपराध करता है, तो उसे सजा दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। मैदानी पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं करती है, तो अपराधियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी पीएचक्यू की होती है। बहरहाल दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाने वाला पीएचक्यू खुद नियम-कायदों को अंगूठा दिखाने में लगा है। इसका उदाहरण एसटीएफ में दर्ज वह एफआईआर है, जिसमें पीएचक्यू के 28 कर्मचारियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। सात साल हो गए एफआईआर हुए, लेकिन अब तक चालान पेश नहीं हो पाया है और मामले के गुनाहगार धड़ल्ले से नौकरी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश एसटीएफ ने वर्ष 2013 में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथियाने का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में 249 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, इनमें 28 कर्मचारी पुलिस मुख्यालय के हैं। सभी पर आरोप है कि उन्होंने शार्ट

हैंड और टाइपिंग की परीक्षा फर्जी तरीके से पास की थी। कुछ ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए थे और कुछ की जगह पर दूसरे लोगों ने बैठ कर परीक्षा दी थी, तब वे पास हुए थे। यह गड़बड़ी एसटीएफ की शुरुआती जांच में पकड़ी गई थी। पकड़े जाने के बाद एसटीएफ ने जांच की थी और बाकायदा लोक शिक्षण संचालनालय से तथ्यों का सत्यापन कराया था। सत्यापन के दौरान यह खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किए थे। इसी जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुकदमा दर्ज हुए तकरीबन सात साल हो गए हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजेदार बात तो यह कि इतने सालों में एसटीएफ की जांच पूरी नहीं हो पाई है। अथवा यह माना जाए कि एसटीएफ ने जांच पूरी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर जांच पूरी हो जाती तो चालान पेश करना पड़ता। सात साल में एसटीएफ चालान पेश नहीं कर पाई है। इसलिए आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभागीय तौर पर भी पीएचक्यू ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन आरोपियों को एसटीएफ ने नामजद आरोपी बनाया था, वे उन्हीं अधिकारियों के नीचे पूरे दम से काम कर रहे हैं।

यह हाल पीएचक्यू का है, जबकि दूसरी इकाइयों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसटीएफ में दर्ज इसी अपराध में रीवा के एक स्टेनो को भी नामजद आरोपी बनाया गया था। बताते हैं कि तत्कालीन रीवा एसपी आबिद खान ने उक्त कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त करने इसी कूटरचना को कारण बताया गया था। जानकारों का मानना है कि एसटीएफ ने एफआईआर करने में गड़बड़ी की थी। अब उस कहानी को छुपाने के लिए चालान में देरी कर रही है। एफआईआर में गलत और सही का पता तो एसटीएफ के अधिकारी खुद लगाएंगे, लेकिन दोषियों को बख्शने और उन पर कार्रवाई नहीं होने का असर योग्य उम्मीदवारों की मानसिकता पर पड़ रहा है। उन पर हताशा का भाव इसलिए आ रहा कि गुनाह करने वाले बच निकलते हैं। सीधे रास्ते में चलने वाले परेशान होते रहते हैं।

पुलिस के साये में लाइन लगाकर किया जा रहा वितरण प्रदेश में 8.78 लाख मीट्रिक टन यूरिया, फिर भी किल्लत

सरकार बता रही यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता, फिर भी नहीं मिल रहा यूरिया

रामगोपाल सिंह राजपूत, भोपाल

कोरोना काल में किसान ने पहले उगी फसल बेचने के लिए संघर्ष किया, अब मध्यप्रदेश में उसे बोनी के बाद यूरिया के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सोसायटी के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं, कई जगहों पर पुलिस की मौजूदगी में यूरिया बांटा जा रहा है, जबकि निजी दुकानों में दोगुने दामों पर यूरिया आसानी से मिल रहा है। मप्र में यह परेशानी हर साल होती है। किसानों को यूरिया-खाद के लिए परेशान होना पड़ता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 62.77 लाख हेक्टयर क्षेत्र में बोनी होना है। पिछले साल में 36.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी हुई थी। बोनी का रकबा बढ़ने की वजह से यूरिया की किल्लत शुरू हो गई है।

किसानों को खरीब और रबी के सीजन में बोनी के समय यूरिया की जरूरत है। इधर, सरकार के जिम्मेदार विभागों का कहना है कि प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके बाद प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जरूरत के समय किसानों को यूरिया के लिए परेशान होना पड़ता है, जबकि निजी दुकानों पर किसानों को आसानी से यूरिया मिल जाता है। निजी दुकानों पर दोगुने दाम पर किसानों को यूरिया मिलता है। दरअसल मप्र में धान और गेंहू की पैदावार खूब होती है। रबी के सीजन

में ज्यादातर किसान गेंहूं की बोनी करते हैं। गेहूं की बोनी अक्टूबर से शुरू होती है। किसानों को यूरिया की जरूरत 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच ज्यादा रहती है। इसी बीच यूरिया की किल्लत होती है। इसकी एक वजह यूरिया की कालाबाजारी है।

अभी और बढ़ेगी किल्लत : किसानों का कहना है कि प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सोसायटियों की मिलीभगत से यूरिया की कालाबाजारी शुरू हो जाती है। इससे यूरिया की किल्लत हो जाती है। किसानों को जब जरूरत होती है, तब यूरिया नहीं मिलता।

इन जिलों में बनी डिमांड

सरकार की समीक्षा के मुताबिक अभी छिंदवाड़ा, झाबुआ, उज्जैन, सागर में डिमांड बनी हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी यूरिया को लेकर किल्लत शुरू हो गई है। अगर किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिला तो बोनी लेट होगी। इससे पैदावार पर असर पड़ेगा।

अभी से परेशान होने लगे किसान

अशोक नगर : यूरिया को लेकर मारामारी की स्थिति यह है कि अशोकनगर जिलों में सरकारी सोसायटी में यूरिया को लेकर किसानों की भीड़ लग रही है। यहां पुलिस की मौजूदगी में यूरिया का वितरण हो रहा है।

गुना : गुना में भी किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। यहां वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल रहा है। इससे किसानों को पुलिस की मौजूदगी में लाइन लगाकर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। यही स्थिति राघोगढ़ की है। यहां यूरिया के लिए किसानों को टोकन दिए गए हैं। पुलिस की सुरक्षा में यूरिया का आंवटन किया जा रहा है।

झाबुआ : झाबुआ जिले में 45 हजार टन खाद की आवश्यकता है। फिलहाल यहां भी कमी बनी हुई है। इससे किसानों को यूरिया के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

खरगोन : यहां 63 हजार टन की आवश्यकता होती है। उपलब्धता इससे कम है। जानकारी के मुताबिक 2 लाख 15 हजार हेक्टेयर बोनी होती है।

नीमच : किसानों को 17 हजार 400 टन यूरिया की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में लगभग 1 लाख 77 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी होती है। क्षेत्र के किसानों को खरीब और रबी के सीजन में यूरिया के लिए परेशान होना पड़ता है।

भोपाल नर्मदापुरम संभाग में पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता है। फिलहाल यूरिया को लेकर दिक्कत नहीं है। कहीं-कहीं कमी होने पर परेशानी हो रही है। इसको दूर किया जा रहा है।

ब्रजेश द्विवेदी, प्रबंधक, विपणन

पर्याप्त उपलब्धता होने के बाद भी समय पर किसानों को यूरिया नहीं मिलता है। रबी और खरीब के सीजन में यह समस्या हर साल होती है। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कालाबाजारी से यह स्थिति बनती है।

मिश्रीलाल राजपूत, किसान, भोपाल